

FOOD SAFETY APPELLATE TRIBUNAL
JAIPUR, RAJASTHAN

APPEAL NO.FA/0016/2018

Mukesh Joshi & others
Vs.
State of Rajasthan & Others

RECORD OF PROCEEDINGS

Date – 11.09.2018

Present:-

Shri Mayank Gupta, advocate for appellant
Shri V.D. Gathala, advocate for respondent State

Dr. Sukumar Kashyap, Chief Medical & Health Officer, Nagaur and Shri Rajesh Jangid, F.S.O. Nagaur उपस्थित। उनके कार्यालय में उपलब्ध सीलबंद पैकेट खाद्य पदार्थ जिसका सैम्पल लिया गया था वो पेश किया जिसके खोलने पर पाया कि पैकेट पर बैच नम्बर अंकित नहीं है। उत्पादन की तिथि दिनांक 07.09.2014 अंकित है तथा खाद्य पदार्थ का अधिकतम मूल्य 95/-रुपये अंकित है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर स्थिति शपथपत्र से स्पष्ट करे कि उन्होंने सैम्पल के विवरण में बैच नम्बर किस आधार पर लिखा है?

सैम्पल वापस लौटाया गया।

रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, स्मरण पत्र जारी हो।

पत्रावली 03 सप्ताह बाद पेश हो।

(Umesh Kumar Sharma)
Presiding Officer